



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5565

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44974 of 2025

गर्जेद्र

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता: चंद्र नाथ भट्ट

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता: शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री उपेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, जो श्री चंद्र नाथ भट्ट, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से उपस्थित हैं, श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमे के लंबित रहने की लंबित अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या 392 of 2025, धारा 103(1), 238(a) भारतीय न्याय संहिता, थाना गजरौला, जिला अमरोहा के अंतर्गत जमानत की मांग की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग दो दिन की देरी से दर्ज की गई है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को केवल संदेह के आधार पर नामित किया गया है। यदि कोई उद्देश्य था, तो वह केवल विक्रम के पास था, जो मृतका से विवाह करना चाहता था। सूचनाकर्ता मृत्यु परीक्षण की कार्यवाही में पंच साक्षी संख्या 2 है और उसने घटना के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा तथा उसने अगले दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि लगभग 20 दिन की देरी के बाद

दो नए साक्षी, अर्थात् सचिन और लोकेन्द्र, प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके बारे में कहा गया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि मृतका ने उन्हें बताया था कि आवेदक और अन्य नामित अभियुक्त व्यक्ति उस पर हमला कर रहे हैं, परंतु उक्त साक्षी घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वहां मृतका को नहीं पाए, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 13.10.2025 से जेल में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया, परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का खंडन नहीं किया जा सका।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी तथा दो नए साक्षियों, अर्थात् सचिन और लोकेन्द्र, के बयान अंकित कराने में हुई देरी को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय प्रथम दृष्टया यह विचार करता है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक- गजेंद्र, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार, प्रत्येक समान धनराशि में, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।